हिमाचल प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग

संख्याः टी.पी.टी–ए(3)–1/2023 तारीखः शिमला–2 22.08.2026

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम का संख्यांक 59) की धारा 96 के साथ पठित धारा 212 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 5–24/88 टी०पी०टी०–पार्ट–।।।, तारीख 12 जुलाई, 1999 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 जुलाई, 1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मोटरयान नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम का प्रस्ताव करते हैं और उन्हें संभाव्य प्रभावित होने वाले जन साधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है;

इन प्रारूप नियमों द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति को यदि इन नियमों की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह/वे लिखित में आक्षेप (आक्षेपों) या सुझाव (सुझावों) को उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा/सकेंगे।

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो/हों पर उक्त प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. नियम 2 का सशोधन। हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''उक्त नियम'' कहा गया है) के नियम 2 के उप नियम (1) के खंड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(ण) ''यान फ्लीट'' से एकल रजिस्ट्रीकृत स्वामी के नाम पर रजिस्ट्रीकृत, एक ही प्रवर्ग और प्रकृति के दो या दो से अधिक मोटर वाहनों का समूह अभिप्रेत है, और जो नामनिर्दिष्ट या परिचालन मार्ग पर सचालित किए जाने के लिए आशयित हो।

यह वर्गीकरण मंजिली गाडी, संविदा गाडी या ऐसी किसी अन्य परिवहन श्रेणी के यानों पर लागू होगा, जिन्हें अधिसूचित किया जाए।''।

3. नियम 73 का संशोधन। ''उक्त नियमों'' के नियम 73 में, ''मंजिली गाड़ी या संविदा गाड़ी के अनुज्ञापन का धारक ऐसे यान पर उस राज्य में उद्धगृहित सभी करो की अदायगी करेगा'' वाक्य के पश्चात् निम्नलिखित उपबंध अंतःस्थापित किया जाएगा ;

''ऐसे फ्लीट का भाग के रूप में प्रत्येक यान के लिए कर दायित्व की अवधारणा वास्तव में संचालित मार्ग की लंबाई और अभिनियोजित विनिर्दिष्ट यान की सीट क्षमता के आधार पर किया जाएगा।''।

आदेश द्वारा,

ओंकार चन्द शर्मा
अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Authoritative English text of this Department Notification No. TPT-A(3)-1/2023 dated 22-08-2026 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

No. TPT-A(3)-1/2023 Shimla-2, the 22-08-2026

In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 212 read with section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the Governor, Himachal Pradesh proposes to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, notified vide this department Notification No. 5-24/88-Tpt-III, dated 12th July, 1999 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Ordinary) dated 27th July, 1999 and the same are hereby published in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for information of the general public likely to be affected thereby;

If any person likely to be affected by these rules, has any objection(s) or suggestion(s) to make with regard to these rules, he may send the written objection (s) or suggestion(s) to the Additional Chief Secretary (Transport) to the Government of Himachal Pradesh, Armsdale Building, Shimla-2 within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

Objection(s) or suggestion(s), if any, received within the stipulated period, shall be considered by the Government of Himachal Pradesh, before finalizing the draft rules, namely:-

1. Short title and commencement	(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicle (Second Amendment) Rules, 2026. (2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of rule 2	In rule 2 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, (hereinafter referred to as the ‘said rules’) sub rule (1) after clause (n), the following clause shall be inserted, namely:- (o) "Vehicle Fleet" means a group of two or more motor vehicles of the same category and nature, registered in the name of a single registered owner,

and intended to operate on designated or operational route. This classification shall apply to stage carriages, contract carriages, or any other transport category vehicles as may be notified.”

3. Amendment of rule 73

In rule 73 of the ‘said rules’, after the sentence: "The holder of a stage carriage or a contract carriage Permit shall pay all the taxes leviable in the State on such vehicles." the following provision shall be inserted;

“the tax liability for each vehicle forming part of such a fleet shall be determined on the basis of the route length actually operated and the seat capacity of the specific vehicles deployed in service."

By Order,

Onkar Chand Sharma
Additional Chief Secretary (Transport) to the
Government of Himachal Pradesh